

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र / 2020/११२

दिनांक:- ०२/७/२०२०

कार्यालय आदेश

मण्डल में अधिशेष आवास/फ्लेटों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव के पश्चात् शेष बचे आवास/फ्लेटों जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया गया है उन सभी अधिशेष आवास/फ्लेट्स जिनकी लागत वैधता 30-06-2020 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वर्ष 2019-20 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनगर रखते हुए सभी अधिशेष आवास/फ्लेटों की लागत वैधता दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।



(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा०आ०म०, (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा०आ०म०, (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
10. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक